भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1195

(16 दिसम्बर, 2013 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण विकास एजेंसियों में लगे कर्मचारीगण

1195. श्रीमती टी॰ रत्नाबाई:
श्री मोहम्मद अली खान:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास प्रत्येक राज्य में ग्रामीण विकास एजेन्सियों (आरडीए) में कार्यरत कर्मचारियों का कोई ब्यौरा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजन के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई है और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में उनकी क्या भूमिका है; और

(ग) यदि नहीं, तो आरडीए में कर्मचारियों का ऐसा ब्यौरा न होने के क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रदीप जैन 'आदित्य')

(क) से (ग) : राज्य सरकारें डीआरडीए कर्मचारियों की भर्ती करती हैं और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। भारत सरकार न तो इस प्रक्रिया में शामिल है और न ही यह डीआरडीए कर्मचारियों का केन्द्रीकृत डाटाबेस रखती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनिक खर्चों जिसमें केवल डीआरडीए स्थापनाओं के वेतन तथा आकस्मिक व्यय शामिल हैं से निपटने के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) प्रशासन योजना का कार्यान्वयन कर रहे हैं। इस योजना के तहत केन्द्र और राज्य के बीच निधि की हिस्सेदारी 75:25 के अनुपात में होती है (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 90:10 के अनुपात में) तथा संघ राज्य क्षेत्रों में यह शत प्रतिशत है। डीआरडीए की भूमिकाओं और जिम्मेवारियों में शामिल हैं – गरीबी उपशमन कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन, कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए अन्य एजेंसियों – सरकारी, गैर-सरकारी के साथ समन्वय, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी हेतु समुदाय तथा ग्रामीण गरीबों को समर्थ बनाना, दिशा-निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन का निरीक्षण, निर्धारित प्राधिकरणों को कार्यान्वयन की सूचना देना और निर्णय लेने तथा कार्यान्वयन में पारदर्शिता को बढ़ावा देना।

*****